

संस्कृत 9 / आठ ०४-२७ / २०२३

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, खगड़िया के पत्रांक—३८ दिनांक—०६ ०१ २०२३ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुड़, गोगरी, खगड़िया (R.No-BR00150160004309) दिनांक—०४.०४.२०२१ से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

२. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा० आलम के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम—१७ मे अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०—५२८(९) दिनांक—१७ ०५ २०२३ के द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गई। सचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच—प्रतिवेदन (अधिगम) मे आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्रांक—९७१(९) दिनांक—१५ ०९.२०२३ एवं १९२(९) दिनांक—०२ ०२ २०२४ द्वारा डा० आलम से द्वितीय कारण—पृच्छा की गई। द्वितीय कारण—पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति मे दिनांक—१२ ०६.२०२४ को दैनिक समाचार पत्र मे प्रेरा विज्ञाप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्ततः द्वितीय कारण—पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा० आलम को सरकारी सेवा रो बर्खारत करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

३. उक्त शास्ति प्ररताव मे बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक—२११ दिनांक—१७ ०४ २०२५ द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक—१०.०६.२०२५ को सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक मे मद संख्या—०९ पर मन्त्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

४. तदनुसार डा० मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुड़, गोगरी, खगड़िया को दिनांक—०४ ०४ २०२१ रो लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खारत किया जाता है।

आदेश:—संकल्प की प्रति डा० मो० फिरदौस आलम एवं सभी संबंधितो को निबधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—९ / आठ ०४-२७ / २०२३ (स्वा०) ६४७(९), पटना, दिनांक—१३.६.२५

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुगेर प्रमडल, मुगेर/सिविल सर्जन, खगड़िया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डा० मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुड़, गोगरी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१३५६०५०-

(15)

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर राचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशास्त्राधिकारी, प्रशास्त्रा—2,3,5,7,8,10,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, रवां विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अमृत
१३/०६/२०२५
सचिव को अवर सचिव।